U. T. Administration of Daman & Diu,
Office of the Collector,
Collectorate, Moti Daman,
Daman-396220.

No. COL/DMN/MAG/PERMISSION/GEL-2019/2018-19/ 573 Dated:-13/03/2019

ORDER

In order to maintain Law & Order situation for ensuing General Election to Lok Sabha - 2019, the permission for functions like Rally, Door to Door campaigning, Public Meeting etc. needs to be streamlined and made functional.

It is decided that all functions or gathering for political/social or any other purpose requiring :-

1. The use of loudspeakers or music system and/ or
2. The installation of Mandap or Pandal with road blocking or in government land and/ or
3. Any procession, rally, Dharna, protest and road show has to be compulsorily

take the prior written permission from the office of the District Magistrate/District Election Officer/Returning Officer.

For the above, a simple application should be make at least 07 working days before the date of function with the following documents before the office of Collector/District Election Officer/District Magistrate.

1. An application addressed to the Collector/District Election Officer/District Magistrate requesting for the permission having basic details of the function like nature, venue, date, time, number of persons and route map etc.
2. Self attested Residential I.D proof of the applicant.
3. Undertaking/Declaration as enclosed herewith.
4. Self attested Residential I.D proof of two witness.

Note:-

1. Above all documents are mandatory for issuing permission.
2. The applicant should submit the application within the prescribed time limit otherwise application may not be entertained.
3. It is also hereby clarified that none of the above functions or gathering should be carried out without written approval of the competent authority.

This is issued with the approval of the Collector/ District Election Officer/District Magistrate, Daman.

13/3/19
(Harminder Singh)
Deputy Collector (Gen)
Daman.

Copy to:-

1. All Head of Offices for publication on Notice Board.
2. All respected elected members of District Panchayat, (Through the Chief Executive Officer, District Panchayat, Daman).
3. All respected elected members of Gram Panchayat, (Through the Block Development Officer, Daman).
4. All respected elected members of Daman Municipal Councillor, (Through the Chief Officer, DMC, Daman).
5. The Field Publicity Officer, Daman with a request to publish a **Press Note** in the all local newspapers.
6. The District Information Officer, NIC, Daman with a request to upload in the official website in the Collectorate, Daman.
7. All Political Parties.
8. The Deputy Director (Rajya Bhasha) for translation in Hindi.

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
समाहर्ता का कार्यालय,
समाहर्तालय, मोटी दमण,
दमण- 396220

सं. समा/दमण/एमएजी/अनुमति/2019/2018-19/573 दिनांक 13/03/2019

आदेश

आगामी सामान्य लोकसभा चुनाव के लिए कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु और घर-घर जाकर चुनाव प्रचार, सार्वजनिक बैठकें और समारोहों के लिए अनुमति प्रक्रिया को सरल एवं कार्यात्मक बनाने की आवश्यकता है

निम्नलिखित की आवश्यकता वाले राजनीतिक/सामाजिक या अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु सभी समारोहों या सभाओं, जिनमें :-

1. लाउडस्पीकर या म्यूजिक सिस्टम का प्रयोग हो और / या
2. ऐसे मंडल या पांडालों को लगाया जाना जिनसे सड़क या सरकारी जमीन अवरुद्ध होती हो और / या
3. किसी प्रकार के जुलूस, रैली, धरना, आंदोलन और रोड शो के लिए अनिवार्य रूप से जिला मजिस्ट्रेट/जिला चुनाव अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी की अनुमति ली जानी अपेक्षित हो,

उपरोक्त हेतु यह निर्णय लिया गया है कि समारोह के कम से कम सात दिनों पहले एक सामान्य आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों सहित समाहर्ता कार्यालय/ जिला चुनाव अधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए

(1) समारोह के लिए अनुमति हेतु समारोह संबंधी मूलभूत जानकारी जैसे समारोह की प्रकृति, स्थल, दिनांक, समय, लोगों की संख्या और मार्ग संबंधी मानचित्र आदि के साथ एक आवेदन समाहर्ता / जिला चुनाव अधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट को संबोधित करते हुए अनुमति हेतु लिखा जाना चाहिए
(2) आवेदक द्वारा स्वअभिप्रमाणित आवासीय पहचान-पत्र का प्रमाण
(3) इसके साथ संलग्न शपथ/घोषणा-पत्र
(4) दो गवाहों के स्वअभिप्रमाणित पहचान-पत्र

नोट:-

1. अनुमति जारी करने के लिए उपरोक्त सभी दस्तावेज अनिवार्य हैं
2. आवेदक द्वारा आवेदन निहित समय-सीमा के भीतर जमा किया जाना चाहिए अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा
3. एतद्द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त कोई भी समारोह या सभा, सक्षम प्राधिकारी के लिखित अनुमोदन के बिना आयोजित नहीं किया जाना चाहिए
4. इसे समाहर्ता /जिला चुनाव अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट दमण के अनुमोदन पर जारी किया जाता है

(हरमिंदर सिंह)
उप समाहर्ता (सा.)
दमण

प्रतिलिपि:

1. सभी कार्यालयाध्यक्षों को सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने हेतु
2. जिला पंचायत के सभी सम्मानित निर्वाचित सदस्य, (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, दमण के माध्यम से)
3. ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित निर्वाचित सदस्य, (खंड विकास अधिकारी, दमण के माध्यम से)
4. दमण नगरपालिका पार्षद के सभी सम्मानित निर्वाचित सदस्य, (मुख्य अधिकारी, दमण नगरपालिका परिषद, दमण के माध्यम से)
5. क्षेत्र प्रचार अधिकारी, दमण को इसे सभी स्थानीय समाचार-पत्रों में **प्रेस नोट** के रूप में प्रकाशित करने के अनुरोध सहित
6. जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र दमण को इसे समाहर्तालय दमण की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
7. सभी राजनीतिक दल
8. उप-निदेशक (राजभाषा), दमण